न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :26 / 2025
निर्णय दिनांक : 21/07/25
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 49

1. अली शेर पुत्र फूले खाँ जाति कायमखानी निवारी करबा सुजानगढ़ जिला चूरू
2. हसीना बानो पुत्री भीखू खां पत्नी बाबू खां जाति कायमखानी निवासीनी करबा सुजानगढ़ जिला चूरू हाल निवासीनी वार्ड नं. 01, शहरिया बास, विद्यालय नं. 02 के पास, करबा लाडनूं जिला डीडवाना कुचामन
3. फकीर खां पुत्र दुड़े खां जाति कायमखानी निवारी करबा सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूरती

उपस्थित :–

1. श्री सलीम खान एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 348 के खसरा संख्या 1892 / 281 तादादी 1.5932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1954 / 45 तादादी 2.7313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 280 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 तादादी 1.1886 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 तादादी 4.6786 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 तादादी 3.2371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 तादादी 0.8725 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 तादादी 4.0337 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 18.5879 वाके रोही ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादीगण का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से खेत खाता संख्या 348 में वादी संख्या 01 का नाम कालू खां पुत्र फुले खां, वादीनी संख्या 02 का नाम घीसी बानो पुत्री भीखू खां एवं वादी संख्या 03 का नाम फकीरा पुत्र धुड़ा खां खातेदारी में अंकित कर दिया जबकि वादीगण का वास्तविक नाम वादी संख्या 01 का नाम अली शेर पुत्र फुले खाँ, वादीनी संख्या 02 का नाम हसीना बानो पुत्री भीखू खां एवं वादी संख्या 03 का नाम फकीरा खां पुत्र दुड़े खां है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुररत करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादीगण का नाम खेत खाता संख्या 348 के खसरा संख्या 1892 / 281 तादादी 1.5932 हैक्टेयर, खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

1954/45 तादादी 2.7313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 280 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 तादादी 1.1886 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 तादादी 4.6786 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 तादादी 3.2371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 तादादी 0.8725 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 तादादी 4.0337 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 18.5879 वाके रोही ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी संख्या 01 का नाम कालूखां पुत्र फुलेखां, वादीनी संख्या 02 का नाम घीसीबानो पुत्री भीखूखां एवं वादी संख्या 03 का नाम फकीरा पुत्र धुड़ाखां खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम क्रमशः अलीशेर पुत्र फूलेखां, हसीनाबानो पुत्री भीखूखां, फकीराखां पुत्र धुड़ेखां है। अतः वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे कालूखां पुत्र फूलेखां, घीसीबानो पुत्री भीखूखां एवं फकीरा पुत्र धुड़ाखां के स्थान पर अलीशेर पुत्र फूलेखां, हसीनाबानो पुत्री भीखूखां एवं फकीरखां पुत्र दुड़ेखां किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग के पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, परिवार का जनाधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड की प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादीगण का नाम अलीशेर पुत्र फूलेखां, हसीनाबानो पुत्री भीखूखां एवं फकीरखां पुत्र दुड़ेखां अंकित है। अतः मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 348 के खसरा संख्या 1892/281 तादादी 1.5932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1954/45 तादादी 2.7313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 280 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 तादादी 1.1886 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 तादादी 4.6786 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 तादादी 3.2371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 तादादी 0.8725 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 तादादी 4.0337 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 18.5879 वाके रोही ग्राम सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी संख्या 01 का नाम कालूखां पुत्र फुलेखां, वादीनी संख्या 02 का नाम घीसीबानो पुत्री भीखूखां एवं वादी संख्या 03 का नाम फकीरा पुत्र धुड़ाखां के स्थान पर अलीशेर पुत्र फूलेखां, हसीनाबानो पुत्री भीखूखां एवं फकीरखां पुत्र दुड़ेखां खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को टंकित करवाया जाकर अज अदालत में सुनाया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़, जिला चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अली शेर आदि बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 26 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री सलीम खान एड. मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 348 के खसरा संख्या 1892/281 तादादी 1.5932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1954/45 तादादी 2.7313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 280 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा संख्या 283 तादादी 1.1886 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 तादादी 4.6786 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 तादादी 3.2371 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 तादादी 0.8725 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 तादादी 4.0337 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल तादादी 18.5879 वाके रोही ग्राम सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी संख्या 01 का नाम कालूखां पुत्र फुलेखां, वादीनी संख्या 02 का नाम घीसीबानो पुत्री भीखूखां एवं वादी संख्या 03 का नाम फकीरा पुत्र धुड़ाखां के स्थान पर अलीशेर पुत्र फूलेखां, हसीनाबानो पुत्री भीखूखां एवं फकीरखां पुत्र वुडेखां खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.................................मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 03. 2025

दस्तखत ....
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

मुहर ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये